संख्या– 582 /XVIII-(2)/2007

प्रेषक,

पी.एस. जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 25 जून, 2007

विषयः– वर्ष 2007–08 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यो हेतु अतिरिक्त धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वर्षो में भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ आदि दैवी आपदाओं से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2007–08 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यो हेतु 13 जनपदों के लिये रू0 25.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रू0 3,25,00000/- (रू0 तीन करोड़, पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निदर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों यथा– यातायात, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियों के तात्कालिक आवश्यकता वाले रेस्टोरेशन संबन्धी तात्कालिक महत्व के कार्यो पर व्यय की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि में से रू0 2.00 लाख तक की योजनायें संबन्धित जिलाधिकारियों द्वारा, तथा 2.00 लाख से 5.00 लाख तक की योजनायें संबन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा लो.नि.वि. के तकनीकी अधिकारियों की सहायता से स्वीकृत की जायेगी।

4. स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी–

1– पूर्व में स्वीकृत धनराशि के व्यय के पश्चात उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2

4- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करे कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

5- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कडाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है, तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यो में व्यय नहीं की जायेगी।

8- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

9- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा और कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

6. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8. कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

9. वित्तीय वर्ष 2007-08 में आपदा राहत कोष से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/ समर्पित धनराशि का **लेखा मिलान** प्रत्येक जनपद द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक छः माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

क्रमशः 3

10. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 675/वित्त अनु0 5/2007 दिनांक 25 जून, 2007 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी.एस. जंगपांगी)
अपर सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी गढ़वाल।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– राज्य सूचना अधिकारी,एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–वित्त अनुभाग–5।
11–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12–गार्ड फाइल।

(पी.एस. जंगपांगी)
अपर सचिव